न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः— श्री श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्याः— 2/08/20219 दायर दिनांकः— 11/01/2019

जीसीएमएस नं0:— 2019/00022 निर्णय दिनांकः— 21/08/2025

वउनवान

1. हरवीर पुत्र हरचन्दी जाति जाटव निवासी ग्राम खेडामैदा
2. बलवीर पुत्र हरचन्दी जाति जाटव निवासी ग्राम खेडामैदा
3. दुर्बल पुत्र हरचन्दी जाति जाटव निवासी ग्राम खेडामैदा
4. संतोकी पुत्र हरचन्दी जाति जाटव निवासी ग्राम खेडामैदा

तहसील कठूमर जिला अलवर

——— सायलान

बनाम

1. राधेश्याम पुत्र कन्हैंया जाति जाटव निवासी ग्राम खेडामैदा
2. मदन पुत्र नथोली जाति जाटव (फौत)

2/1 भगवानसिंह पुत्र मदन जाति जाटव निवासी ग्राम खेडामैदा

2/2 भागचन्द पुत्र मदन जाति जाटव निवासी ग्राम खेडामैदा

2/3 विमला पुत्री मदन पत्नी जगदीश जाति जाटव निवासी नयागांव पो0 नयागांव तहसील भुसावर जिला भरतपुर

3. सफेदी पत्नी खुनखुन जाति जाटव (फौत)

3/1 दीपचन्द पुत्र सफेदी जाति जाटव निवासी ग्राम खेडामैदा

3/2 प्रहलाद पुत्र सफेदी जाति जाटव निवासी ग्राम खेडामैदा

3/3 केला पुत्री सफेदी पत्नी विजयसिंह जाति जाटव निवासी खेडामैदा हालवासी भुसावर जिला भरतपुर

4. उप पंजीयक भनोखर तहसील कठूमर

गैरसायलान

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज०

उपस्थित :— श्री रामजीलाल —अधिवक्ता सायलान

श्री महेन्द्रसिंह कपासिया — अधिवक्ता गैरसायलान

—::निर्णय::—

सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 1158 रकवा 0.70 हैं0 1158/1216 रकवा 0.06 हैं0 1159 रकवा 0.86 हैं0 ग्राम खेडामैदा तहसील कठूमर में स्थित है। जो हाल नम्बर साविक खसरा नम्बर 503 रकवा 3 वीघा 10 विस्वा 503 रकवा 3 वीघा 8 विस्वा वाके ग्राम सुण्डियाना तहसील कठूर से बनाये गये है कि खसरा नम्बर 1158 के मध्य सडक निकल जाने से उक्त नम्बर दो भागों में विभक्त हो गया है। घण्टोली सायलान के पिता हरचन्दी का मामा लगता था तथा हंसो मामी लगती थी। जिनके कोई संतान नही हुई। सायलान के दादा फौंदी घण्टोली व हंसो का भानजा लगता था। घण्टोली के वारिस पुत्र पुत्री न होने की बजह से सायलान के दादा फौंदी को अपने पास रख लिया तथा अपना वारिस बना लिया। घण्टोली व हंसो के फौत हो जाने पर उनका तर्का सायलान के दादा फौंदी को प्राप्त हुआ तथा सायलान के दादा फौंदी घण्टोली व हंसो के फौत हो जाने पर उनके हिस्से पर काविज हो गये व काश्त करने लग गये। जमाबन्दी संवत् 2015 में विवादित आराजी का साविक खसरा नम्बर 503 बाबत मु0 हंसो उपरोक्त मारफत फौंदी बेटा नथुआ निष्फ उप कृषकान सा0 खेडामैदा जमाबन्दी संवत् 2011 में उक्त साविक खसरा नम्बर बाबत मु0 हंसो बेबा घण्टोली चमार सा0 खेडामैदा गै0मो0 साल 27 मारफत नथोली पुत्र पांच्या चमार सा0 खेडामैदा गै0मो0 के इन्द्राज दर्ज है। विवादित आराजी पर सायलान के दादा फौंदी काविज रहकर काश्त करते चले आ रहे थे उनके फौत हो जाने पर सायलान के पिता हरचन्दी व हरचन्दी के फौत हो जाने पर सायलान काविज रहकर काश्त कर रहे है तथा मौके पर आज भी काविज है। साविक खसरा नम्बर 503 वाके खेडामैदा वावत मु0 हंसो ने एक प्रकरण संख्या 173 बापसी कब्जा बाबत वउनवान मु0 हंसो बनाम काना न्यायालय कलेक्टरी अलवर के समक्ष पेश किया जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा विवादित आराजी पर हंसो का कब्जा मानकर उक्त प्रकरण का मु0 हंसो के पक्ष में दिनांक 06.08.1949 को निर्णय किया तथा मु0 हंसो को विवादित आराजी पर विधिनुसार दखल दिलाया गया। दखल मिलने पर मु0 हंसो विवादित आराजी पर काश्त करती रही। विवादित आराजी व अन्य आराजी वावत नथोली पुत्र पाच्या निष्फ गलत

उपखण्ड अधिकारी

उपस्थित :– श्री रामजीलाल –अधिवक्ता सायलान

श्री महेन्द्रसिंह कपासिया – अधिवक्ता गैरसायलान

–::निर्णय::–

सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 1158 रकवा 0.70 हे0 1158/1216 रकवा 0.06 हे0 1159 रकवा 0.86 हे0 ग्राम खेडामैदा तहसील कठूमर में स्थित है। जो हाल नम्बर साविक खसरा नम्बर 503 रकवा 3 वीघा 10 विस्वा 503 रकवा 3 वीघा 8 विस्वा वाके ग्राम सुण्डियाना तहसील कठूर से बनाये गये है कि खसरा नम्बर 1158 के मध्य सडक निकल जाने से उक्त नम्बर दो भागों में विभक्त हो गया है। घण्टोली सायलान के पिता हरचन्दी का मामा लगता था तथा हंसो मामी लगती थी। जिनके कोई संतान नही हुई। सायलान के दादा फौंदी घण्टोली व हंसो का भानजा लगता था। घण्टोली के बारिस पुत्र पुत्री न होने की बजह से सायलान के दादा फौंदी को अपने पास रख लिया तथा अपना वारिस बना लिया। घण्टोली व हंसो के फौत हो जाने पर उनका तर्का सायलान के दादा फौंदी को प्राप्त हुआ तथा सायलान के दादा फौंदी घण्टोली व हंसो के फौत हो जाने पर उनके हिस्से पर काविज हो गये व काश्त करने लग गये। जमाबन्दी संवत् 2015 में विवादित आराजी का साविक खसरा नम्बर 503 बाबत मु0 हंसो उपरोक्त मारफत फौंदी बेटा नथुआ निष्फ उप कृषकान सा0 खेडामैदा जमाबन्दी संवत् 2011 में उक्त साविक खसरा नम्बर बाबत मु0 हंसो बेबा घण्टोली चमार सा0 खैडामैदा गै0मो0 साल 27 मारफत नथोली पुत्र पांच्या चमार सा0 खेडामैदा गै0मो0 के इन्द्राज दर्ज है। विवादित आराजी पर सायलान के दादा फौंदी काविज रहकर काश्त करते चले आ रहे थे उनके फौत हो जाने पर सायलान के पिता हरचन्दी व हरचन्दी के फौत हो जाने पर सायलान काविज रहकर काश्त कर रहे है तथा मौके पर आज भी काविज है। साविक खसरा नम्बर 503 वाके खेडामैदा वावत मु0 हंसो ने एक प्रकरण संख्या 173 बापसी कब्जा बाबत वउनवान मु0 हंसो बनाम काना न्यायालय कलेक्टरी अलवर के समक्ष पेश किया जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा विवादित आराजी पर हंसो का कब्जा मानकर उक्त प्रकरण का मु0 हंसो के पक्ष में दिनांक 06.08.1949 को निर्णय किया तथा मु0 हंसो को विवादित आराजी पर विधिनुसार दखल दिलाया गया। दखल मिलने पर मु0 हंसो विवादित आराजी पर काश्त करती रही। विवादित आराजी व अन्य आराजी वावत नथोली पुत्र पाच्या निष्फ गलत

रूप से दर्ज होने पर सायलान के दादा फौंदी ने एक राजस्व वाद संख्या 23 सन् 1954 दखलयावी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ मु0 अलवर के समक्ष पेश किया। जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा विवादित आराजी पर सायलान के दादा फौंदी का कब्जा व खातेदारी की आराजी मानकर व विवादित आराजी वावत प्रतिवादी नथोली के नाम का गलत इन्द्राज होना मानकर उक्त वाद सायलान के दादा फौंदी के पक्ष में डिक्री हो गया लेकिन उस समय इस निर्णय की इजराय न होने की वजह से विवादित आराजी पर नथोली का नाम गलत रूप से दर्ज चलता रहा तथा नथोली के फौत हो जाने पर विवादित आराजी के 1/2 हिस्से पर गैरसायलान का नाम दर्ज हो गया। बन्दोबस्त विभाग के अधिकारियान कर्मचारियान ने खिलाफ कानून व खिलाफ मौका विधि विरूद्व तरीके से विवादित आराजी वावत विना मौके की जांच किये विधि विरूद्व तरीके से विना सक्षम न्यायालय के आदेश के विना कब्जे के विवादित आराजी वावत 1/2 हिस्सा व फौदी व 1/2 हिस्सा नथोली की खातेदारी में दर्ज कर दिया। नथोली के नाम दर्ज 1/2 हिस्से का इन्द्राज गलत है। बन्दोबस्त विभाग ने नथोली से मिलकर 1/2 हिस्सा की खातेदारी उसके नाम गलत रूप से दर्ज कर दी जवकि विवादित आराजी हमेशा से घण्टोली, मु0 हंसो, फौंदी व हरचन्दी व अव सायलान का निरन्तर विना व्यवधान के लगातार गैरसायलान की जानकारी में कब्जा चला आ रहा है। विवादित आराजी पर पुराना कब्जा व खातेदारी मानकर माननीय न्यायालय ने वाद डिक्री किया है। इस प्रकार विवादित आराजी सायलान के बुजुर्गान की होने से पैत्रिक है। गैरसायलान का विवादित आराजी से किसी तरह का सम्बन्ध व सरोकार नहीं रहा है। गैरसायलान ने सायलान को धमकी दी है कि तुम्हें विवादित आराजी पर शांति पूर्वक काश्त नहीं करने देगे जवरन वेदखल कर हम खुद कब्जा करेगें या विवादित आराजी को गैरसायल सं0 4 से मिलकर दीगर लोगों को रहन वय हिवा आदि द्वारा मुन्तकिल कब्जा करा देगें जवकि गैरसायलान को ऐसा करने का कोई हक व अधिकार नहीं है। यदि गैरसायलान अपने नापाक ईरादों में कामयाव हो गये तो सायलान तवाह एंव वर्वाद हो जावेगे दीगर मुकदमा बाजी वढेगी जिससे सायलान को अपार हानि होगी जिसकी पूर्ति पैसों में संभव नहीं है। अतः सायलान ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को ता फैसला दावा पाबन्द कराने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलवकिया गया।

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (अलवर) राज०

गैरसायलान ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी विवादित नहीं है बल्कि 1/2 हिस्सा गैरसायलान की खातेदारी की आराजी है। घण्टोली गैरसायलान के दादा थे तथा गैरसायलान के दादा नथोली के सगे भाई घण्टोली तथा घण्टोली के बाद उसकी बेबा हंसो दादी थी। सायलान का मृतक घण्टोली व नथोली में कोई सम्बन्ध नहीं था बल्कि सायलान ग्राम गांगरोली तहसील नदबई जिला भरतपुर के निवासी है उनका उक्त आराजी से कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है उक्त आराजी गैरसायलान के पूर्वजों की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जवकि फौंदी का उक्त आराजी से कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है। सायलान ने विवादित आराजी में 1/2 हिस्से पर अपना नाम गलत दर्ज कराया है। सायलान को किसी तरह का नुकशान व क्षति नहीं होती है। सायलान ने महज हम गैरसायलान को तंग व परेशान करने की नियत से मौजूदा प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किया जावे।

सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में निर्णय दिनांक 25.07.2049 मय डिक्री, निर्णय दिनांक 27.4.1955 न्यायालय एस डी ओ राजगढ की छाया प्रति, नकल छाया प्रति मिलान क्षैत्रफल संवत् 2028, नकल छाया प्रति जमाबन्दी हाल वाके सुण्डियाना, नकल छाया प्रति नक्शा ट्रेस, नकल छाया प्रति गिरदावरी संवत् 2070 दिनांक 15.11.2018 वाके सुण्डियाना की छाया प्रति पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। उपभय पक्षकारान के अधिवक्तागण की वहस सुनी। सायलान को प्रार्थना पत्र में सफलता प्राप्त करने के लिये निम्न तीन विन्दुओं को अपने पक्ष में सावित करना है –

1. **प्रथम दृष्टा केस**
2. **सुविधा का सन्तुलन**
3. **ना पूर्ति होने वाली क्षति**

प्रथम दृष्टा केसः– बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता सायलान ने अपनी वहस में मुख्य रूप से अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुये कथन किया कि सायलान के दादा फौंदी घण्टोली व हंसो का भानजा लगते थे। घन्टोली के कोई पुत्री पुत्री संतान नहीं थी इस वजह से उन्होंने सायलान के दादा फौंदी को अपना बारिस बना लिया। इनका तर्का सायलान

उपखण्ड अधिकारी
(अलवर) राज०

के दादा फौंदी को प्राप्त हुआ है इन दोनों के फौत हो जाने पर उक्त आराजी सायलान के दादा फौंदी को फौंदी के फौत हो जाने पर सायलान के पिता हरचन्दी को व हरचन्दी के फौत हो जाने पर विवादित आराजी सायलान को विरासत में प्राप्त हुई है जिस पर सायलान काविज रहकर काश्त कर रहे है। गैरसायलान का विवादित आराजी से किसी तरह का सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। न्यायालयों में विवादित आराजी वावत मुकदमें बाजी चली। राजस्व वाद संख्या 23 सन् 1954 दखलयावी का न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ मुकाम कठूमर से विवादित आराजी पर सायलान के दादा फौंदी का कब्जा मानकर व विवादित आराजी वावत प्रतिवादी नथोली के नाम का गलत इन्द्राज होना मानकर उक्त वाद सायलान के दादा फौंदी के पक्ष में डिक्री हो गया लेकिन निर्णय की इजराय नहीं हुई तथा नथोली के फौत हो जाने पर विवादित आराजी के 1/2 हिस्सा को गैरसायलान के नाम दर्ज हो गया। जवकि विवादित आराजी सायलान की बुजुर्गानी है। पुराना कब्जा है। राजस्व रिकार्ड में गैरसायलान के नाम गलत खातेदारी दर्ज है। गलत इन्द्राज के आधार पर गैरसायलान विवादित आराजी में सायलान के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करते है जवरन कब्जा करना चाहते है व दीगर लोगों को रहन वय करना चाहते है। अतः प्रथम दृष्टा केस सुविधा का सन्तुलन एंव ना पूर्ति होने वाली क्षति सायलान के पक्ष में सावित है। अतः सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को ता फैसला दावा पाबन्द किया जावे।

अधिवक्ता गैरसायलान ने अपनी वहस में अपने जवाव प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी हमारी बुजुर्गानी पैत्रिक आराजी है जिस आराजी से सायलान का किसी तरह का सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। सायलान ने गलत आधार पर अपने नाम 1/2 हिस्सा की खातेदारी दर्ज करा ली है। जिस गलत इन्द्राज के आधार पर गैरसायलान विवादित आराजी पर कब्जा करना चाहते है। प्रथम दृष्टा केस सुविधा का सन्तुलन एंव ना पूर्ति होने वाली क्षति सायलान के पक्ष में सावित ना होकर गैरसायलान के पक्ष में सावित है। सायलान ने प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है जो खारिज किया जावे। हमने पत्रावली के तथ्यों जवाव दावा एंव पत्रावली में संलग्न छाया प्रति दस्तावेजात का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता सायलान एंव गैरसायलान की वहस पर मनन किया। विद्वान अधिवक्ता सायलान का कथन है कि विवादित आराजी घण्टोली व हंसो से सायलान के दादा फौंदी को प्राप्त हुई है। फौंदी के बाद सायलान के पिता हरचन्दी व उनके फौत होने पर सायलान को

उपखण्ड अधिकारी
(अलवर) राज०

विरासत में प्राप्त हुई है। सायलान द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2015 में विवादित आराजी का साविक खसरा नम्बर 503 मु0 हंसो उपरोक्त मारफत फौंदी बेटा नथुआ निष्फ उप कृषकान सा0 खेडामैदा व जमाबन्दी संवत् 2011 में उक्त साविक खसरा नम्बर बाबत हंसो वेवा घण्टोली चमार सा0 खेडामैदा गै0मो0 साल 27 मार्फत नथोली पुत्र पांच्या चमार सा0 खेडामैदा गै0मो0 के इन्द्राज दर्ज है। विवादित आराजी में सायलान के हक हिस्सा व अधिकार वाद में साक्ष्य सवूत आने पर ही तय किये जायेगें हाल एंव साविक रेवन्यु रिकार्ड व सायलान के प्रार्थना पत्र गैरसायलान के जवाव प्रार्थना पत्र के आधार पर विवादित आराजी में सायलान के हित निहित प्रतीत होते है। विवादित आराजी वावत राजस्व न्यायालयों से निर्णीत निर्णयों की नकल भी संलग्न पत्रावली हैं। गैरसायलान को पाबन्द नहीं किया गया तो गैरसायलान विवादित आराजी को रहन वय कर सकते है तथा सायलान के कब्जे काश्त में बाधा पैदा कर सकते है जिस कारण विवादित आराजी के मूल स्वरूप को बनाये रखना जरूरी प्रतीत होता है। अतः प्रथम दृष्टा केस का विन्दु सायलान के पक्ष में सावित है।

सुविधा का सन्तुलनः– सायलान द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड, न्यायालयों के निर्णयों की छाया प्रति के अवलोकन से विवादित आराजी में के हित निहित प्रतीत होते है। यदि गैरसायलान को पाबन्द नहीं किया गया तो सायलान को असुविधा होना संभव है। अतः सुविधा का सन्तुलन भी सायलान के पक्ष में प्रतीत होता है।

ना पूर्ति होने वाली क्षतिः–विवादित आराजी आराजी वावत सायलान एंव गैरसायलान के हक हिस्सा अधिकार व कब्जा के बारे में मूल वाद में साक्ष्य सवूत आने पर तय किये जायेगें। यदि हाल राजस्व रिकार्ड के आधार पर गैरसायलान ने विवादित आराजी को रहन वय कर दिया या कब्जे काश्त में दखल किया तो पक्षकारान के मध्य बाद बहुलता बढेगी इस वजह से ना पूर्ति होने वाली क्षति सायलान को होना संभव है। उक्त पक्षकारान के बीच में एक बाद वउनवान कैलादेवी बनाम हरवीर विचारधीन है उक्त दोनो वाद की आराजी एवं पक्षकारान समान होने के कारण वादो का फैसला गुणावगुण के आधार व साक्ष्य सबूतो के आधार पर किया जाना शेष है।गैरसायलान को पाबन्द किये जाने से उन्हें किसी तरह का नुकशान होता हो इस तरह की स्थिति अदालत के समक्ष नहीं है। अतः ना पूर्ति होने वाली क्षति भी सायलान के पक्ष में प्रतीत होती है।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज0

उपरोक्त बिन्दुओ के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र साबित होने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य प्रतित होता है।

–::आदेश::–

अतः प्रार्थना पत्र सायलान स्वीकार किया जाकर उभयपक्षकारान् को ता फैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो आराजी खसरा नम्बर 1158, 1158/1216, 1159 वाके ग्राम सुण्डियाना तहसील कठूमर तहसील कठूमर के रिकार्ड एंव मौका की यथास्थिति बनाये रखें तथा पत्रावली पर जारी स्टे आदेश दिनांक 11.10.2019 को मूल दावा के निस्तारण तक कनफर्म किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो वो मूल वाद के साथ संलग्न हो।

निर्णय आज दिनांक 21.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया।

श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर, अलवर